संख्या-5080/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2014-90(एम)/2012

प्रेषक,

भुवनेश कुमार ,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग   लखनऊ दिनांक 4 फरवरी, 2015

विषय-प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योगों के कार्यरत कर्मचारियों/नामित व्यक्तियों को प्रवेश दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशालय के पत्र संख्या-1998/टी-2/1514/प्रवेश/आरक्षण/उद्योग कर्म0/ 2012,दिनांक 19-12-2014 अवस्थापना एवं आद्योगिक विकास निवेश नीति, 2012 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2541/89-व्या0शि0-2012 -90(एम)/2012, दिनांक 01 नवम्बर;2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली एवं उद्देश्य परक बनाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 01 नवम्बर,2012 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता का अधिकतम 10 प्रतिशत ट्रेडवार सीटों पर बिना प्रवेश प्रक्रिया के स्थानीय उद्योगों में 02 वर्ष से अधिक पूर्ण कालिक कार्यरत कर्मचारियों को सीधे प्रवेश दिये जाने के उद्देश्य से उद्योगों द्वारा नामित अभ्यर्थियों हेतु पात्रता निम्नवत् होगी:-

1. आवेदक कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत उद्योगों में पूर्ण कालिक रूप से कम से कम 02 वर्ष से उस उद्योग में कार्यरत हो।
2. आवेदक के पास उद्योग द्वारा नामित किये जाने का प्रदत्त प्रमाण पत्र हो ।
3. आवेदक के पास उद्योग में कम से कम 02 वर्ष की पूर्ण कालिक सेवा के वेतन भुगतान संबंधी औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र की उपलब्धता/प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
4. आवेदक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत चिन्हित व्यवसायों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रवेश अर्हता पूर्ण करता हों।
5. प्रदेश स्तर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू आरक्षण व्यवस्था यथावत् लागू रहेंगी।
6. नामांकित आवेदक अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने की स्थिति में अधिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
7. उद्योगों द्वारा कर्मचारियों को नामित करने के संबंध में प्रार्थना पत्र का प्रारूप प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की वेबसाइट **dtemp.up.nic.in** तथा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट **www.vppup.in** पर उपलब्ध रहेगा। प्रत्येक वर्ष के 01 अगस्त से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण सत्र के लिए 30 अप्रैल तक उद्योगों के नामित व्यक्तियों के प्रस्ताव प्रत्येक दशा में प्राप्त कर लिए जाएं। निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेकर विलम्बतम 10 मई तक सूची तथा रिक्त स्थानों की संख्या से परीक्षा अनुभाग (एस0सी0वी0टी0) को अवगत करा दिया जाय, एवं 15 मई को विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाय। चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची संबंधित उद्योग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. उक्तानुसार आरक्षित 10 प्रतिशत सीटों के विरूद्व प्रवेश न पा सकने वाले कर्मचारियों को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा/प्रक्रिया में सम्मिलित होने की छूट होगी । यदि इस प्रकार का कोई कर्मचारी प्रवेश परीक्षा/प्रक्रिया में भाग लेता है तो उसे कुल प्राप्तांक के अतिरिक्त 05 वरीयता अंक देय होंगे, जिसकी व्यवस्था प्रवेश आवेदन पत्र के अन्तर्गत एवं तदोपरान्त प्रवेश प्रक्रिया में अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

9. आरक्षित सीटों के विरूद्व अथवा प्रवेश परीक्षा में वरीयता अंक प्राप्त करने वाले सम्बंधित कर्मचारी प्रवेश के समय अपने मूल अभिलेख सम्बंधित संस्थान के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करेंगे। यदि अभिलेखों के अनुसार वे वरीयता अंक अथवा आरक्षण पाने के पात्र नहीं है तो उन्हें दी गयी उपरोक्त सुविधा समाप्त समझी जायेगी।

10. उक्तानुसार 10 प्रतिशत तक सीटों पर लिये गये प्रवेश के अन्तर्गत रूपये 6000/- प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति वर्ष प्रशिक्षण शुल्क के रूप में लिये जाने का अधिकार सम्बंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य को प्रदान किया जाता है, जिसे प्रधानाचार्य द्वारा राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा कराया जायेगा।

11. यदि प्रवेश की प्रथम चरण की काउंसिलिंग के उपरान्त उद्योगों द्वारा नामित एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु चयनित कर्मचारी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो इस प्रकार रिक्त रह गयी सीटों पर प्रवेश करने का अधिकार राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश को होगा।

12. उक्त व्यवस्था ऐसे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योगों द्वारा नामित कर्मचारियों/ व्यक्तियों के प्रवेश हेतु लागू होंगी, जो भारत सरकार सहायतित पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप योजना से आच्छादित नहीं है।

3- कृपया उक्त आदेश का प्रभावी ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

<u>संख्या-5080(1)/89-व्या०शि०एवं कौ०वि०वि०-2014तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव,औद्योगिक विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन ।
2- स्टाफ आफिसर , मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश शासन।
3- सचिव,राज्य व्यावसायिक एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश,अलीगंज,लखनऊ ।
4- समस्त जिलाधिकारी /मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक)
5- अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्दु ,12 सी माल एवेन्यू, उ0प्र0,लखनऊ ।
6- प्रधानाचार्य,समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (द्वारा निदेशक) ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र)
अनुसचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in